

प्राथमिक शिपिंग - FIRST DAY COVER



50 वर्ष
YEARS

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के 50 वर्ष
50 YEARS OF CUSTOMS ACT, 1962



भारत गणराज्य
50 वर्ष
YEARS
26.07.2012
50 YEARS OF CUSTOMS ACT, 1962
ई सिटी 110011 NEW DELHI

भारतीय डाक विभाग
DEPARTMENT OF POSTS, INDIA



भारतीय डाक विभाग
Department of Posts
India



सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के 50 वर्ष
50 YEARS OF CUSTOMS ACT, 1962

विवरणिका BROCHURE

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के 50 वर्ष

केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड वर्ष 2012 में सीमा-शुल्क अधिनियम का 50वां वर्ष मना रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से, सीमा-शुल्क की अवधारणा का इतिहास ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में कौटिल्य के अर्थशास्त्र तक पुराना है। तरपश्चात्, ब्रिटिश काल में, समुद्री सीमा-शुल्क अधिनियम, 1878, इंटरनेशनल बोन्डेड वेयरहाउस करटम्स ऐक्ट, 1896, भूमि सीमा-शुल्क अधिनियम, 1924 और वायुयान अधिनियम, 1934 की शुरुआत की गई। स्वतंत्रता के बाद, समुद्री सीमा-शुल्क अधिनियम, 1878 और भूमि सीमा-शुल्क अधिनियम, 1924 को 1962 में समेकित कर वर्तमान सीमा-शुल्क अधिनियम बनाया गया। 23 जनवरी, 1963 को इसे अधिसूचित किया गया और 1 फरवरी, 1963 से यह लागू हुआ।

स्वतंत्रता के बाद प्रमुख रूप से घरेलू उद्योग को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने के लिए सीमा-शुल्क दरें उच्च रखी गईं। इसके अलावा, निर्यात आयात नीति के अंतर्गत अनेक मदों के आयात पर प्रतिबंधों, निषेधों के रूप में गैर-प्रशुल्क अवरोध भी लागू किए गए। इसके कारण सीमा-शुल्क से बहुत कम राजस्व अर्जित होता था लेकिन, आर्थिक उदारीकरण के बाद इसमें पर्याप्त वृद्धि हुई और वर्तमान में राजकोष में सबसे अधिक अप्रत्यक्ष कर का योगदान करनेवालों में सीमा-शुल्क का दूसरा स्थान है। राजस्व अर्जन के अलावा, सीमा-शुल्क प्रशासन वैश्विक व्यापार की सुविधा भी उपलब्ध कराता है और विभिन्न वित्तीय एवं गैर-वित्तीय नियमों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है। समय के साथ-साथ, सीमा-शुल्क प्रशासन ने प्रौद्योगिकी को अपनाया, नियमों एवं प्रक्रियाओं को सरल बनाया और शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाया है।

भारतीय सीमा-शुल्क ने वैश्विक आपूर्ति शृंखला की निरंतरता बनाए रखने के साथ-साथ व्यापार सुविधा को बढ़ाने के लिए अनेक पहलें की हैं। इनमें स्व-निर्धारण, ऑन-साइट निकासी पश्चात् लेखापरीक्षा, प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक कार्यक्रम, प्रत्यायित योजनाबद्ध कार्यक्रम और सीमा-शुल्क टैरिफ परस्पर संवादी (इंटरैक्टिव) वेबसाइट शामिल हैं। हाल ही में, सरहदों पर अंतर्राष्ट्रीय सामानों की सीमा-शुल्क निकासी को

सुधारने के लिए एकल खिडकी परियोजना शुरू की गई थी। 108 स्थानों में चल रही करटम्स इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज (ईडीआई) प्रणाली, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और अंतर्राष्ट्रीय सामानों की त्वरित निकासी को सुनिश्चित करता है। भारतीय सीमा-शुल्क इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज गेटवे (आईसीईजीएटीई) पोर्टल, सामानों की निकासी हेतु संदेश आदान-प्रदान करने के लिए 15 बाहरी स्टेक होल्डरों- बंदरगाहों, अभिरक्षकों, बैंकों आदि को कनेक्ट करता है।

भारतीय सीमा शुल्क प्रशासन को 2005 में शुरू की गई अपनी सुदृढ़ जोखिम प्रबंधन प्रणाली तथा वैल्युएशन डाटाबेस के प्रचालन में अपनी सुविज्ञता के लिए विश्व भर में जाना जाता है। विश्व सीमा-शुल्क संगठन के नीति आयोग के सदस्य के रूप में भारतीय सीमा-शुल्क, एशिया प्रशांत क्षेत्र के समूचे सीमा-शुल्क समूह की अभिलाषाओं को उजागर करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। विश्व सीमा-शुल्क संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय सीमा-शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं नारकोटिक्स अकादमी क्षेत्र में सीमा-शुल्क के अधिकारियों की क्षमता निर्माण में सक्रिय रूप से लगा हुआ है।

सीमा-शुल्क विभाग बंदरगाहों, हवाई अड्डों, भूमि सीमा-शुल्क स्टेशनों और अंतर्देशीय कंटेनर डिपुओं में वाणिज्यिक घपलों और खुली तस्करी के मामलों का पता लगाकर देश की आर्थिक सरहदों की सक्रिय रूप से रक्षा करता है।

डाक विभाग, 'सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के 50 वर्ष' की स्मृति में डाक-टिकट जारी करते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है।

आभार:

मूलपाठ	:	प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री पर आधारित
डाक-टिकट/ प्रथम दिवस आवरण/ विरूपण	:	अलका शर्मा

50 YEARS OF CUSTOMS ACT, 1962

The Central Board of Excise and Customs is celebrating 50 years of Customs Act in 2012. Historically, the concept of customs duty dates back to 3rd Century BC in Kautilya's Arthashastra. Later, in the British era, The Sea Customs Act, 1878, The Inland Bonded Warehouses Act, 1896, The Land Customs Act, 1924 and The Aircraft Act, 1934 were introduced. After independence, The Sea Customs Act, 1878 and The Land Customs Act, 1924 were consolidated in 1962 to form the present day Customs Act. It was notified on 23rd January, 1963 and came into existence on 1st February, 1963.

After independence, customs duty rates were kept high mainly to protect and promote domestic industry. In addition, non tariff barriers in the form of restrictions, prohibition on import of a large number of items under Export Import Policy, were introduced. Due to this revenue from customs duty was very low but after the economic liberalization it has increased substantially and at present Customs is the second largest indirect tax contributor to the exchequer. Besides, revenue collection, the Customs administration also facilitates global trade and ensures compliance of various fiscal and non-fiscal laws and regulations. Over a period of time, the Customs administration has embraced technology, simplified the law and procedures and rationalized the duty structure.

Indian Customs has taken various initiatives to secure the global supply chain as well as enhance trade facilitation. These include the introduction of Self Assessment, On-site Post Clearance audit, Authorized Economic Operator Programme, Accredited Planned Programme and Customs Tariff Interactive Website. Recently a Single Window Project was introduced to

improve Customs clearance of international goods at borders. Customs Electronic Data Interchange (EDI) System which is functioning in 108 locations ensures transparency, accountability and expeditious clearance of international goods. Indian Customs Electronic Data Interchange Gateway (ICEGATE) portal connects about 15 external stakeholders - ports, custodians, banks etc. to facilitate message exchange for the clearance of goods.

Indian Customs administration is globally recognized for its robust Risk Management System, introduced in 2005 and its expertise in operating a valuation database. As a member of the Policy Commission of the World Customs Organization, Indian Customs plays a leading role in projecting the aspirations of the entire Customs fraternity of the Asia Pacific region. National Academy of Customs, Excise and Narcotics, which is World Customs Organization recognized training institute, is actively engaged in capacity building of officers of Customs administrations in the region.

The Customs department actively safeguards the economic frontiers of the country by detecting cases of commercial frauds and out-right smuggling at ports, airports, the land customs stations and inland container depots.

Department of Posts is happy to issue a stamp to commemorate the '50 Years of Customs Act, 1962'.

Credits:-

Text : Based on the material provided by the proponent.

Stamp/FDC/
Cancellation : Alka Sharma



तकनीकी आंकड़े TECHNICAL DATA

जारी करने की तारीख Date of Issue	:	26 जुलाई, 2012 26 July, 2012
मूल्यवर्ग Denomination	:	500 पैसा 500 p
मुद्रित डाक-टिकटे Stamps Printed	:	4.5 लाख* 0.45 Million*
मुद्रण प्रक्रिया Printing Process	:	फोटो ग्रेव्योर Photo Gravure
मुद्रक Printer	:	भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नाशिक India Security Press, Nashik

© डाक विभाग, भारत सरकार। डाक-टिकट, प्रथम दिवस आवरण तथा सूचना विवरणिका के संबंध में सर्वाधिकार विभाग के पास है।

© Department of Posts, Government of India. All rights with respect to the stamp, first day cover and information brochure rest with the Department.

* 1.5 लाख प्रस्तावक हेतु।
*0.15 million for the proponent

मूल्य ₹ 2.00